संख्या-22/2021/272/18-2-2021-30(2)/2007टीसी

प्रेषक

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 जून, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार बनाने हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-33/उ0वि0-9/सबप्लान-ट्रायबल सबपलान/बजट/स्वी0/2021-22, दिनांक 20-5-2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार परक बनाने हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1.50 (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 75,000.00 (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय नियंत्रण एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनावश्यक एवं अनुपयोगी व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रतियां वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/6 व समाज कल्याण अनुभाग(बजट प्रकोष्ठ) को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि से सामूहिक प्रशिक्षण योजना में एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. की धनराशि से केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को आच्छादित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-03-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा तथा सुसंगत मदों में ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्ययनियंत्रण) अनुभाग-3/6
5- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2/3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।